दिनांक 11.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 472/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर/थाना जाफरगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 10/11.09.2026 की रात्रि थाना जाफरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रूसिया रोड पर ग्राम डिघरूवा के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमित कुमार उर्फ टेनी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जो थाना जाफरगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फतेहपुर व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जाफरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित कुमार उर्फ टेनी निवासी ग्राम डिघरूवा थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना शिकारपुर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11.09.2026 को थाना शिकारपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिकारपुर बाईपास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विवेक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना शिकारपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विवेक निवासी रामनगर कॉलोनी मौसमगढ़ थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 18 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2026 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कोट के सर्विस रोड पर स्थित श्मशान घाट के पास से 03 अभियुक्तों 1—कलुआ 2—नितिन 3—अनमोल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 18 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कलुआ निवासी नई आवादी कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2—नितिन निवासी न्यादरगंज कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

3—अनमोल निवासी डूडा कालोनी, चिटहैरा थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 18 मोटर साइकिल आदि।

जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली कन्नौज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (कीमत) के 545 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **10 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 डीसीएम वाहन बरामद**

दिनांक 11.09.2026 को थाना कोतवाली कन्नौज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पाल चौराहा अन्डरपास से अभियुक्त जयसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (कीमत) के 545 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 10 हजार 200 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 डीसीएम वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कन्नौज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जयसिंह निवासी ग्राम विसारनिया बाड़मेर राजस्थान।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये (कीमत) के 545 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–10 हजार 200 रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 डीसीएम वाहन।

- **जनपद सम्भल/थाना बहजोई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 24 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना बहजोई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/302/34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–लेखराज 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 24 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना मंझनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना मंझनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–चिरंगू उर्फ मनीष 2–सुरेश को आजीवन कारावास व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मऊ/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–धर्मेन्द्र कुमार को धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–अजीत को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शामली/थाना झिंझाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शामली द्वारा थाना झिंझाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/363 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोण्डा/थाना परसपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5(झ)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पृथ्वीराज को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना जहाँगीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना जहाँगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजय को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 11.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 473/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में आयोजित क्राइम सीन मैनेजमेंट के छठे प्रशिक्षण बैच का समापन समारोह

- **UPSIFS में क्राइम सीन मैनेजमेंट के छठे प्रशिक्षण बैच का समापन।**
- **06 सप्ताह के प्रशिक्षण में आरक्षी से निरीक्षक स्तर के 600 से अधिक पुलिस कार्मिकों को अपराध स्थल के वैज्ञानिक प्रबंधन, फॉरेंसिक तकनीकों तथा विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।**
- **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने वैज्ञानिक एवं साक्ष्य आधारित विवेचना को प्रभावी पुलिसिंग की महत्वपूर्ण कड़ी बताया।**
- **पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से Knowledge, Skill एवं Attitude को फील्ड में प्रभावी ढंग से लागू कर वैज्ञानिक एवं साक्ष्य आधारित विवेचना को और मजबूत करने का आह्वान किया गया।**
- **प्रदेश में प्रतिमाह लगभग 5,000 क्राइम सीन्स को वैज्ञानिक तरीके से प्रोटेक्ट कर साक्ष्य एफएसएल भेजे जा रहे हैं।**

उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न जनपद /कमिश्नरेट में नियुक्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्राइम सीन मैनेजमेंट के क्षेत्र में दक्ष एवं प्रशिक्षित किए जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में दिनांक 03.08.2026 से 11.09.2026 तक 06 सप्ताह की अवधि का छठा प्रशिक्षण बैच संचालित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आरक्षी से निरीक्षक स्तर के लगभग 600 से अधिक प्रतिभागियों को अपराध स्थल के वैज्ञानिक प्रबंधन, साक्ष्यों के संरक्षण एवं संकलन, घटनास्थल के निरीक्षण, फॉरेंसिक तकनीकों तथा विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञो द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में **श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0** द्वारा अपने संबोधन में प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुये कहा कि वैज्ञानिक एवं साक्ष्य आधारित विवेचना उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसका सकारात्मक प्रभाव फील्ड पुलिसिंग में दिखाई दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री **श्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदृष्टि एवं मार्गदर्शन में उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना इसी दिशा में एक मील का पत्थर है।** राष्ट्रीय स्तर की क्षमताओं से

युक्त इस संस्थान की स्थापना से उत्तर प्रदेश पुलिस की फॉरेंसिक क्षमता में अभिवृद्धि के साथ-साथ हमारे विवेचकों एवं पुलिसकर्मियों की वैज्ञानिक विवेचना संबंधी क्षमता निर्माण को भी एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ है। UPSIFS द्वारा फॉरेंसिक, लॉ एवं साइबर के समन्वय से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना एक विशिष्ट एवं सराहनीय पहल है।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों एवं पूर्व प्रशिक्षण बैचों के प्रयासों से प्रदेश में प्रतिमाह लगभग 5,000 क्राइम सीन्स को वैज्ञानिक तरीके से प्रोटेक्ट कर साक्ष्यों का संकलन, लेबलिंग, पैकेजिंग एवं एफएसएल तक प्रेषण किया जा रहा है। उन्होंने इसे वैज्ञानिक विवेचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ठोस कदम बताया।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि फिजिकल एवं साइंटिफिक एविडेंस अपराधी और अपराध के बीच संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे गवाहों पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ गलत विवेचना की संभावना घटती है और नागरिकों का पुलिस एवं न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने संस्थान के ध्येय वाक्य **"Truth, Evidence, Justice"** को साकार करने में साक्ष्य की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया।

उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नई न्याय संहिताओं में वैज्ञानिक विवेचना एवं साक्ष्य संकलन को विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए प्रशिक्षण प्राप्त पुलिसकर्मियों की भूमिका इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पुलिस महानिदेशक ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि **Knowledge, Skill और Attitude तीनों आवश्यक हैं, लेकिन Attitude सबसे महत्वपूर्ण है**। प्रत्येक क्राइम सीन पर केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय ऐसे वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य एकत्र किए जाने चाहिए, जो अपराधी तक पहुँचने तथा न्यायालय में अपराध सिद्ध करने में प्रभावी हों। सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी, साक्ष्यों की सुरक्षित बरामदगी, लेबलिंग, पैकेजिंग तथा चेन ऑफ कस्टडी का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि फील्ड यूनिट को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस की सम्मानित एवं अपरिहार्य इकाइयों के रूप में स्थापित करने का अवसर प्रशिक्षणार्थियों के पास है। इसके लिए निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, समर्पण, प्रोफेशनलिज्म और परिणाम देने की भावना आवश्यक है।

पुलिस महानिदेशक ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षणार्थी अपने-अपने जनपदों में प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं कौशल को मिशन मोड में लागू करेंगे तथा आने वाले 2-3 वर्षों में फील्ड यूनिट की विशिष्ट पहचान स्थापित करेंगे। इससे विवेचना अधिक वैज्ञानिक, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय होगी और नागरिकों का पुलिस पर विश्वास और मजबूत होगा।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने UPSIFS के फाउंडर डायरेक्टर डॉ. जी0के0 गोस्वामी एवं संस्थान के समस्त फैकल्टी का प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक ज्ञान, कौशल एवं तकनीकों से सुसज्जित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को उज्ज्वल भविष्य एवं सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएँ दीं एवं प्रशिक्षण में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर संस्थापक निदेशक **डॉ. जी0के0 गोस्वामी** ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस कोर्स को कौशल विकास के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें केस स्टडी एवं कृत्रिम न्यायालय के अभिनव प्रयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित पुलिसकर्मी विवेचना के आधार हैं और उनकी भूमिका दोषियों को सजा दिलाने के साथ-साथ निर्दोषों को दोषमुक्त कराने में भी महत्वपूर्ण है।

RAJEEV KRISHNA

RAJEEV KRISHNA
CERTIFICATE
Crime Scene Management
Dr. G.K. Goswami